भारत के राजपत्र असाधारण भाग–II खण्ड–3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
उद्योग भवन, नई दिल्ली
अधिसूचना सं. 9/2015–2020
नई दिल्ली, दिनांकः 04 जून, 2015

विषयः– विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के अध्याय–3 के पैरा 3.24 (ञ) में संशोधन।

सा0 आ0 (अ0) विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा विदेश व्यापार नीति (एफ टी पी) 2015–2020 में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती हैः–

विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के अध्याय–3 के पैरा 3.24 (ञ) में संशोधन

विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के अध्याय–3 के संशोधित पैरा 3.24 (ञ) को

निम्नानुसार पढ़ा जाएगा।

''3.24 स्तर धारकों के विशेषाधिकारः–

(ञ) ''स्तर धारक निर्यात संवर्धन के लिए 10 लाख रू0 की वार्षिक सीमा अथवा पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान औसत वार्षिक निर्यात प्राप्ति के 2 प्रतिशत, जो भी **कम** हो, की शर्त के अधीन निःशुल्क आधार पर मुक्त रूप से निर्यात योग्य मदों का निर्यात करने के पात्र होगें।''

इस अधिसूचना का प्रभावः–

निःशुल्क आधार पर मुक्त रूप से निर्यात योग्य मदों के निर्यात पर स्तर–धारकों की हकदारी को तत्काल प्रभाव से सीमित कर दिया गया है।

(प्रवीर कुमार)

महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा0 सं0 01/61/180/59/ ए एम 16/ पी सी –3 से जारी)